



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231287
CG-DL-E-22112021-231287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 2021/अग्रहायण 1, 1943
No. 16] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 2021/AGRAHAYANA 1, 1943

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

का.नि.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 02(अ), तारीख 05 फरवरी, 2021 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्डों के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है :

क्र.सं. (1)	छावनी बोर्ड का नाम (2)	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम (3)
1.	दानापुर	श्रीमती आशा देवी
2.	लैंसडाउन	श्री अजेन्द्र सिंह रावत
3.	कसौली	श्री राज कुमार सिंगला
4.	जतोंग	श्री राजीव कुमार
5.	झाँसी	श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल

6.	कामठी	श्री कमलकिशोर गोपालसिंग यादव
7.	पुणे	श्री सचिन मथुरावाला

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2021

S.R.O. 21(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 2(E) dated the 5th February, 2021, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of members specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Boards as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 10th February, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No. (1)	Name of Cantonment Board. (2)	Name of the members constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006. (3)
1.	Danapur	Smt Asha Devi
2.	Lansdowne	Shri Ajendra Singh Rawat
3.	Kasauli	Shri Raj Kumar Singla
4.	Jutogh	Shri Rajeev Kumar
5.	Jhansi	Shri Dhruv Kumar Agarwal
6.	Kamptee	Shri Kamalkishor Gopalsingh Yadav
7.	Pune	Shri Sachin Mathurawala

[F.No. 14(5)/2021-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.